संख्या–1188 / पांच–5–2020

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त सर्विलांस अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ:: दिनांक : 01 जून, 2020**

विषयः–कोरोना वायरस (कोविड–19) के संदिग्ध/संक्रमित व्यक्तियों के सैम्पल जांच हेतु विवरण उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु अन्य राज्यों/जनपदों से मूल निवास पर वापस आ रहे व्यक्तियों की आशा के माध्यम से ट्रैकिंग के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश शासनादेश संख्या–741/पांच–5–2020, दिनांक 30 मार्च, 2020 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रसारित किये गये हैं।

2– उक्त शासनादेश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु ऐसे व्यक्तियों, जिनकों बुखार, गले में खराश, खांसी, सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण परिलक्षित होते हैं, उनकी ट्रैकिंग/पहचान आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है:–

(1) ऐसे रोगियों का विवरण (रोगी का नाम, उम्र, लिंग, मोबाइल नम्बर, पूर्ण पता–वर्तमान/स्थानीय तथा लक्षण कितनों दिनों से है) फ्रंट लाइन कार्यकर्ता यथा आशा, ए.एन.एम., आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा सीधे कोविड कन्ट्रोल रूम के टोल फ्री नम्बर **18001805145** पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) यदि उक्त लक्षणों वाले रोगी द्वारा प्राइवेट फार्मेसी/मेडिकल स्टोर इत्यादि पर संपर्क किया गया है तो इन स्थानों पर कार्यरत प्राइवेट फार्मासिस्ट द्वारा भी ऐसे रोगियों के सम्बन्ध में प्रस्तर–2 में उल्लिखित विवरण सीधे कोविड कन्ट्रोल रूम के टोल फ्री नम्बर **18001805145** पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(3) प्रस्तर–2 में उल्लिखित लक्षणों वाले व्यक्ति स्वयं भी फोन द्वारा सीधे कोविड कन्ट्रोल रूम के टोल फ्री नम्बर **18001805145** पर सम्पर्क कर अपना विवरण उपलब्ध करा सकते हैं।

(4) राज्य सर्विलांस अधिकारी (एस0एस0ओ0) द्वारा संबंधित जिला सर्विलांस अधिकारी (डी0एस0ओ0) से प्राप्त विवरण को साझा किया जायेगा तथा डी0एस0ओ0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस व्यक्ति का विवरण उपलब्ध कराया गया है वह वेबपोर्टल www.upcovid19tracks.in पर पूर्व से पंजीकृत है। यदि वह व्यक्ति

पूर्व से पंजीकृत नहीं है तो उसका कोविड पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर शत-प्रतिशत सैम्पलों की जॉच करायी जाएगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या–1188 / पांच–5–2020,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य / परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

01/06/2020

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

01/06/20
01.06.2020

D.P GO/COME-5